न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर

अपील संख्या 79/2017 (अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम)

फतेहसिंह पुत्र बुद्धा जाति गूजर निवासी घाटौली तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपवास जिला भरतपुर।

रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नायब तहसीलदार रूपवास दिनांक 9.10.2017 प्रकरण संख्या 3/2017 (91 एल आर एक्ट) सरकार बनाम फतेहसिंह

उपस्थित :

1. श्री पुरूषोत्तम मुदगल वकील अपीलान्ट।
2. पेरोकार सरकार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक – 7.12.2017

निर्णय

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत तहसीलदार रूपवास की आज्ञा दिनांक 9.10.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि सम्बत 2074 खरीफ में तहसील रूपवास के ग्राम घाटोली के खसरा नम्बर 615/119 रकबा 4 वीघा 5 विस्बा गै0मु0 में से 1 वीघा 5 विस्बा भूमि पर अपीलान्ट द्वारा बाजरा फसल काश्तकर एवं पुख्ता डण्डा कर अतिक्रमण सिद्ध होने पर तहत अदालत द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.10.2017 पारित किया गया। अपीलधीन आदेश के जरिये तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुये राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अपीलान्ट को बेदखल करते हुये पैनल्टी लगान 1.25 की 50 गुनी राशि 62.50 गुणांक 63/– रूपये आरोपित की गई है तथा फसल जब्त सरकार की जाकर नीलाम करने एवं पुख्ता डण्डा को ध्वस्त कराकर मलवे

को नीलाम किये जाने के आदेश दिये गये है। जिससे व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है।

वकील अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि आराजी खसरा नम्बर 615/119 रकबा 4 वीघा 5 विस्बा वाकै ग्राम घाटोली में स्थित है जो गैरमुमकिन है उसमें से 1 वीघा 5 विस्बा पर अतिक्रमण मानकार आदेश जेरे अपील पारित किया गया है। जबकि अपीलान्ट का खेत खसरा नम्बर 119 उसकी खातेदारी में है जिसमें वह अपनी खातेदारी की जमीन में ही काश्त करता है। चूंकि रिकार्ड में कोई तरमीम नहीं हुई है इसलिऐ अन्य लोग उक्त रकबे पर काबिज है। अपीलान्ट ने कई बार रैस्पोडेन्ट/तहसीलदार व पटवारी से उक्त रकबे की पैमायश करने का निवेदन किया था मगर आज तक किसी ने नहीं सुनी और न ही उक्त रकबे की विधिवत पैमायश की गई। पटवारी हल्का ने मनमाने ढंग से मौके के विपरीत रिपोर्ट तैयार कर 91 एलआरएक्ट की कार्यवाही करायी गई है जो उचित नहीं है। नक्शा ट्रेस में व आदेश में यह अंकित नहीं है कि खसरा नम्बर 615/119 किस स्थान पर है। वहां पर तो सडक निकली हुई है। इसलिऐ अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण करने का कोई प्रश्न ही नही है। अपीलान्ट ने आवारा पशुओं को अपने खातेदारी के खसरा नम्बर 617/119 में रोकने के लिये पक्की वाउण्ड्री कर रखी है। तहत अदालत ने बिना मौका देखे बिना पैमायश किये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है। तहत अदालत ने न तो अपीलान्ट को सुनवाई/साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई उचित मौका न दिया जाकर एकपक्षीय निर्णय पारित कर दिया है। जो पूर्ण आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। यह अपीलाधीन आदेश न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों की भी अवहेना करता है। वास्तविकता यह है कि अपीलान्ट ने कभी कोई अतिक्रमण नहीं किया है । इसके अलावा फिर भी यदि कोई अतिक्रमण पाया जाता है तो अपीलान्ट छोडने के लिये तैयार है। इस प्रकार का लिखित दस्तावेज तहत अदालत के समक्ष अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका है। बाबजूद इसके तहत अदालत द्वारा मनमाने तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित कर अहम कानूनी गलती की है जो निरस्त योग्य है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.10.2017 निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत तहसीलदार रूपवास के अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.10.2017 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। क्यों कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 29.8.2017 प्रस्तुत होने पर नियमानुसार 91 एल आरएक्ट की कार्यवाही अमल में लायी गई। सम्बत 2074 खरीफ में तहसील रूपवास के ग्राम घाटोली के खसरा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नम्बर 615/119 रकबा 4 वीघा 5 विस्बा गै0मु0 में से 1 वीघा 5 विस्बा भूमि पर अपीलान्ट द्वारा बाजरा फसल काश्तकर एवं पुख्ता डण्डा कर अतिक्रमण सिद्ध होने पर तहत अदालत द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.10.2017 पारित किया गया। अपीलधीन आदेश के जरिये तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुये राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अपीलान्ट को बेदखल करते हुये पैनल्टी लगान 1.25 की 50 गुनी राशि 62.50 गुणांक 63/– रूपये आरोपित की गई है तथा फसल जब्त सरकार की जाकर नीलाम करने एवं पुख्ता डण्डा को ध्वस्त कराकर मलवे को नीलाम किये जाने के आदेश दिये गये है। जो एक अतिक्रमी के खिलाफ न्यायोचित आदेश है । अन्त में पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण खारिज फरमाये जाने एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.10.2017 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार रूपवास के तहत रिकार्ड से यह स्पष्ट है कि सम्बत 2074 खरीफ में तहसील रूपवास के ग्राम घाटोली के खसरा नम्बर 615/119 रकबा 4 वीघा 5 विस्बा गै0मु0 में से 1 वीघा 5 विस्बा भूमि पर अपीलान्ट द्वारा बाजरा फसल काश्तकर एवं पुख्ता डण्डा कर अतिक्रमण कर लिया है । अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य हमारे समक्ष पेश नहीं किया गया जिससे उक्त अतिक्रमण के तथ्य को बेबुनियाद माना जा सके। अपीलान्ट द्वारा पैमायश का बिन्दु उठाने के संदर्भ में हमारा यह मानना है कि यदि समय रहते विधिवत तरीके से अपीलान्ट द्वारा पैमायश हेतु तहत अदालत के समक्ष प्रार्थना की जाती तो पैमायश हो सकती थी। गैर मुमकिन भूमि पर अतिक्रमण किया जाना भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के उल्लघंन के साथ साथ अपीलान्ट की गलत मंशा को भी दर्शाता है जो न्यायोचित नहीं है। तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हम किसी प्रकार की कोई विधिकत्रुटी नहीं पाते है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण निरस्त योग्य ही रहती है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 9.10.2017 में कोई विधिक–त्रुटि प्रमाणित नही होने के कारण यथावत रखा जाता है साथ ही तहत अदालत तहसीलदार रूपवास को विवादित रकबे की विधिवत पैमायश किये जाने हेतु निर्देश दिये जाते है ।

निर्णय आज दिनांक 7.12.2017 को सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर,

भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official